68

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0 एस0 अली

सदस्य

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 906-तीन/14 - विरूद्ध आदेश दिनांक 15–1-2014- पारित द्वारा -तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2009-10

1- गुलाबवती विधवा पत्नी स्व. नाथू प्रसाद
2- अनिरूद्ध प्रसाद पिता स्व. नाथू प्रसाद
3- आशा देवी पुत्री स्व. नाथू प्रसाद
4- विभा देवी पुत्री स्व. नाथू प्रसाद
5- सुधा देवी पुत्री स्व. नाथू प्रसाद
6- सुनीता देवी पुत्री स्व. नाथू प्रसाद
सभी निवासी ग्राम धवैया, तहसील
रायपुर कर्चिलियान जिला रीवा म0 प्र0

----आवेदकगण

विरूद्ध

1- अनिल कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार त्रिपाठी,
दोनों के पिता श्री वैधनाथ त्रिपाठी, नि. ग्राम
सिरता, धमैया, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0 प्र0
2- वैधनाथ प्रसाद त्रिपाठी, तनय स्व. नाथू प्रसाद त्रिपाठी,
निवासी ग्राम धवैया/सिरता, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0 प्र0

----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सुशील कुमार शुक्ला)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अनिल अग्निहोत्री)

आ दे श

(आज दिनांक 23-5-18 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0 प्र0 प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 15-01-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण का सारांश यह है कि प्रकरण में उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें गैर निगरानीकर्ता जो स्व. नाथू प्रसाद का नाती है, द्वारा एक कथित बसीयत को आधार बनाकर पक्षकारों के मूल पुरूष स्व. नाथू प्रसाद की भूमियों के नामांतरण का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जबकि स्व. नाथू प्रसाद की सभी आराजियात पैत्रिक भूमियां हैं, और उनके वारिसों में उनकी पत्नी निगरानीकर्ता क्र0 1 पुत्र निगरानीकर्ता क्र0 2, पुत्रियां क्रमश: 3, 4, 5 व 6 है, गैरनिगरानीकर्ता क्र0 2 स्व. नाथूप्रसाद का बड़ा पुत्र व गैर निग्रानीकर्ता क्र0 1 उसका पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण के अलावा भी गैर निगरानीकर्ता के द्वारा बटंवारा का प्रकरण विचाराधीन था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ सुनवाई किये जानें बावत् प्रकरण को संलग्न कर दिया। इसी बीच निगरानीकर्ता क्र. 2 द्वारा अपने अधिवक्ता से प्रकरण मे जबाव दिये जाने के संबंध में निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जबाब दे दिया गया है गैर निगरानीकर्तागण इसी विश्वास में रहे आये, इसी बीच दिनांक 25/07/2013 को पेशी में प्रकरण गैर निगरानीकर्ता क्र.2 को पता

चला कि प्रकरण में जबाब नहीं दिया गया है और जबाब का अवस्र भी समाप्त हो चुका है और अधिवक्ता द्वारा झूठी जानकारी दी जा रही है और उन्होंने एक के साथ जबाब भी प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त कर जबाब को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत जबावदाबा को स्वीकार किये जाने बावत दिनांक 15/1/14 को पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के नैसर्गिक न्याय सिद्धांत नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जबाब प्रस्तुत कर देने की बात कई बार बताई है क्योंकि अधिवक्ता संभवत: विरोधी पक्ष के प्रभाव में आ गये हैं न्यायाहित में आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर कथन पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिवक्ता के द्वारा की गई कार्यवाही के लिए निगरानीकर्ता को न्याय से वंचित किया जाना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर जबाब का अवसर दिया जाना न्यायहित में है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया है कि प्रस्तुत निगरानी में आलोच्य आदेश दिनांक 15/1/2014 को पारित आदेश विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के अनुकूल है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागणों को जबाव देने हेतु अनेको बार अवसर दिये गये लेकिन निगरानीकर्तागण न्यायालय का समय नष्ट करते रहे, तथा प्रकरण का जबाव प्रस्तुत नही किया गया जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश पत्रिका में अनेको बार उल्लेखित किया है कि निगरानीकर्ताण प्रत्येक पेशियों में उपस्थित होते थे तथा आदेश पत्रिका में कभी निगरानीकर्ता क्रमांक 02 अपने हस्ताक्षर भी

करता था तथा न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय किये जाने के बावजूद भी अपना जबाव प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागणों का जबाव का अवसर समाप्त कर दिया तब भी निगरानीकर्ता क्रमांक 02 न्यायालय में उपस्थित था तथा गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 01 व 02 द्वारा अपनी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है तथा निगरानीकर्तागणों को साक्षी का न्यायालयीन परीक्षण किया जाना शेष था तब निगरानीकर्तागणों को यह आभास हो गया कि न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से गुणदोष के आधार पर निराकरण कर दिया जावेगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जबाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जबाव प्रस्तुत करने में किस कारण से विलंब हुआ इस कारण निगरानीकर्तागणों को बताना चाहिए तथा विलंब माफी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये तथा एतद् पश्चात स्वीकार होने पर जबाव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन निगरानीकर्तागणों द्वारा ऐसा नहीं किया गया वरन् समस्त गलती को अधिवक्ता की गलती बताकर लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को दिनांक 23/08/12 को आदेश पत्रिका के अनुसार जबाव का अवसर समाप्त घोषित किया जा चुका था। तत्पश्चात् आवेदक पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके हैं। प्रकरण अनावेदक के साक्षी प्रतिपरीक्षण हेतु नियत था। तहसीलदार की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिनांक 23/08/12 के पूर्व एवं 23/08/12 को कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन अनावेदक का उद्देश्य प्रकरण को लंबित रखना है, इसलिए बार-बार प्रकरण में पेशियां ली जा रही हैं एवं प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा था। तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा

अपने आदेश दिनांक 15/1/14 को आवेदक का साक्ष्य एवं जबाव का अवसर समाप्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसलिए तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान का अंतर्रिम आदेश दिनांक 15/01/14 स्थिर रखने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2009-10 में पारित अंतर्रिम आदेश दिनांक 15/01/2014 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0 प्र0
ग्वालियर